

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

B/9092

//ज्ञापन//

क्रमांक ...../चार-12-5/23  
प्रति,

जबलपुर, दिनांक 7/12/2023

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा/रतलाम/जबलपुर/रायसेन/शिवपुरी/दतिया/भोपाल/  
उमरिया/शहडोल/झाबुआ/मंदसौर/देवास/सीधी/मुरैना/कटनी/इन्दौर/बैतूल।
2. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल/डिण्डौरी/इन्दौर/मण्डलेश्वर/हरदा/सिंगरौली।


विषय:- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रकरण रिट याचिका(सिविल) 643/2015 ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23/11/2023 के पालन प्रतिवेदन मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किए जाने बावत्।

संदर्भ:- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 5622/21-ब(एक)/2023 भोपाल दिनांक 28/11/2023

--00--

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि, आपकी स्थापना पर दिनांक 01/01/2016 तथा उसके पश्चात्पूर्वी दिनांक से सेवारत्/सेवानिवृत्त(सेवा से पृथक) न्यायिक सेवा के अधिकारियों को म.प्र. न्यायिक सेवाएं(वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण)नियम,2022 के अंतर्गत किये गये पुनरीक्षित वेतन निर्धारण के पश्चात् ऐसे न्यायिक सेवा के अधिकारीगण जिन्हें ऐरियर की राशि का भुगतान नहीं हुआ है, उन्हें नियमानुसार अतिशीघ्र ऐरियर की राशि भुगतान करते हुये उसकी सूचना रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करें, जिससे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त प्रकरण के आलोक में मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल को जानकारी प्रेषित की जा सके।

नोट:- यदि किसी न्यायिक अधिकारी के ऐरियर्स की राशि के भुगतान किये जाने में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या उत्पन्न होने पर संबंधित जिला कोषालय अधिकारी/आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल से संपर्क करें।

  
2.12.23  
(अजय पवार)  
रजिस्ट्रार(एम)  
